



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092023-249090
CG-DL-E-30092023-249090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4120]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2023/ आश्विन 8, 1945

No. 4120]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2023/ ASVINA 8, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

संख्या 72/2023-सीमा शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 4291(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 11क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्: -
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में, -

(क) अध्याय 22 में,-

(i) उपशीर्षक टिप्पण के बाद, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण डाला जाएगा, अर्थात्: -

‘अनुपूरक टिप्पण:

1. टैरिफ मद 2207 10 12 के प्रयोजनों के लिए, "औद्योगिक उपयोग के लिए स्प्रिट्स" का अर्थ रेक्टिफाइड स्प्रिट्स है जिसका उपयोग फार्मा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद या ऐसे अन्य उत्पादों की औद्योगिक तैयारी के लिए किया जाता है, मानव उपभोग के लिए अल्कोहलयुक्त शराब की तैयारी में उपयोग को छोड़कर';

(ii) शीर्ष 2207 में, टैरिफ मद 2207 10 11 और उससे संबंधित, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“2207 10 12 ---- औद्योगिक उपयोग के लिए स्परिट I 150% -”;

(ख) अध्याय 98 में,-

(i) अध्याय शीर्षक के लिए, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परियोजना आयात; प्रयोगशाला रसायन; यात्रियों का सामान, हवाई या डाक द्वारा व्यक्तिगत आयात; जहाज भंडार; अनुयोज्य दावे”;

(ii) टिप्पण 7 के बाद, निम्नलिखित टिप्पण डाला जाएगा, अर्थात्:-

‘8. शीर्षक 9807 के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “ऑनलाइन मनी गेमिंग” और “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावा” का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017(2017 का 12) की धारा 2 के खंड (80ख) और (102क) में दिया गया है।’

(iii) टैरिफ मद 9806 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“9807	विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावा			
9807 10 00	- दांव लगाने के माध्यम से या इस में शामिल अनुयोज्य दावा	-	शून्य	-
9807 20 00	- कैसिनो के माध्यम से या इस में शामिल अनुयोज्य दावा	-	शून्य	-
9807 30 00	- घूतक्रीडा के माध्यम से या इस में शामिल अनुयोज्य दावा	-	शून्य	-
9807 40 00	- घुड़दौड़ के माध्यम से या इस में शामिल अनुयोज्य दावा	-	शून्य	-
9807 50 00	- लॉटरी के माध्यम से या इस में शामिल अनुयोज्य दावा	-	शून्य	-
9807 60 00	- ऑनलाइन धनीय गेम खेलने के माध्यम से या इस में शामिल अनुयोज्य दावा	-	शून्य	-”.

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. 528/07/2023-एसटीओ(टी यू)]

अनंत राधाकृष्णन, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2023

No. 72/2023-Customs (N.T.)

S.O. 4291(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, namely: -

In the First Schedule to the Customs Tariff Act,—

(a) in Chapter 22,—

(i) after Sub-heading Note, the following Supplementary Note shall be inserted, namely:—

‘Supplementary Note :

